न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 71/2017 तारीख रजू:– 09.10.2017

पीठासीन अधिकारी :– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

गौरया पुत्र उकारया मीना निवासी मोहनपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(सायल)

बनाम

1. श्रीमन पुत्र गोकल
2. हरिमोहन पुत्र गोकल
3. प्रहलाद दत्तक पुत्र काडूराम
4. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
5. सब रजिस्ट्रार टोडाभीम जिला करौली।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट सायल

श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट गैरसायल न0 9

निर्णय दिनांकः– 24.02.2020

सायल की और से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पेश किया है कि ग्राम मोहनपुरा की आराजी ख0न0 340/0.16, 363/0.19, 524/0.14, 567/0.03, 568/0.11, 569/0.15, 570/0.15, 571/0.26, 572/0.37, 2042/0.37, 2210/0.28, 2210/2812/0.21, 2211/0.07, 2396/0.40 कुल किता 14 कुल रकवा 2.99 है0 जो कि साबिक ख0न0 1012 रकवा 13 बिस्वा, 1025 रकवा 15 बिस्वा, 1678 रकवा 11 बिस्वा, 1380 रकवा 4 बीधा 5 बिस्वा, 2369 रकवा 1 बीधा 9 बिस्वा, 2655 रकवा 2 बीधा 12 बिस्वा, 2749 रकवा 1 बीधा 12 बिस्वा से बनाये है।

सायल के पिता उकारया की बाल्यावस्था मे ही निधन हो गया था, उकारया के निधन के समय गोकल समझता था, तथा सायल व काडू नाबालिग नासमझदार थे। गोकल परिवार मे बडा तथा कर्ताखानदान था। उक्त तीनो पुत्र मा के संरक्षण मे बडे तथा पले तथा उक्त साबिक आराजी सयुक्त परिवार मे सम्मिलित रहते हुये ही बडा होने के नाते गोकल के नाम खातेदारी आयी तथा फिर तीनो भाईयो के अलग–अलग होने पर तीनो भाईयो ने उक्त आराजीयात का 1/3–1/3 हिस्सा बाट लिया तथा काश्त करते रहे तथा गोकल व काडू के मरने के बाद उनके वारिस अपने हिस्से पर काबिज एवं दखील है तथा आज भी काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी पर सायल बजमाने बुजुर्गान के समय से काबिज एवं दखील है। तथा लम्बे समय से काबिज होने के कारण एडवर्डस पजेशन व लोग टर्मस पजेशन के आधार पर खातेदारी कराने के हकदार है। तीनो भाई गोकल काडू गौरया के जीवीत रहते हुए कभी विवाद नही रहा लेकिन गोकल व काडू के मरने के बाद उक्त आराजीयात गोकल के पुत्र श्रीमन व हरिमोहन के नाम आ गयी , तथा वे अब गलत खातेदारी होने के नाते सायल को अपने हिस्से की आराजी से बेदखल करना चाहते है। उक्त साबिक आराजी के कई

Scanned by CamScanner

ख0न0 राहिन दर्ज थे, जो सायल व गैरसायलान के बुजुर्गो द्वारा सयुक्त रूप से पैसा लगाकर राहिन मुक्त कराया है तथा राहिन के बाद उक्त आराजीयात गैरसायल न0 1 व 2 के पिता गोकल के नाम हो गई है। तथा कुछ आराजीयात गैरसायल न0 1 व 2 के पिता तथा गैरसायल न0 3 के पिता सायल के नाम होने के बावजूद धारा 19 के तहत दीगर व्यक्तियो के नाम सयुक्त परिवार के समय से ही हो गई है।

गैरसायल न0 3 प्रहलाद जन्म से ही काडू के यहा रहा तथा काडू द्वारा ही प्रहलाद के समस्त दस्तावेजात मे पिता की जगह अपना नाम काडू के जीवित रहते हुए काडू के पास रहा काडू के मरने के बाद उक्त समस्त कियाकर्म, पगडी रस्म, गैरसायल न0 3 के ही बंधी तथा वह काडू के तर्के पर काबिज एवं दखील है।

बॉका दिनांक 29.9.2017 को सुबह करीब 9 बजे का है कि सायल अपने हिस्से की आराजीयात पर टेक्टर से जोत लगवा रहा था कि गैरसायल न0 1 व 2 आये तथा कहने लगे कि तुमने उक्त आराजी को बहुत काश्त कर लिया। उक्त आराजी की खातेदारी हमारे नान है तथा पूर्व मे हमारे पिता गोकल के नाम रही थी। इसलिये इसे काश्त करना छोड दो, हम इस आराजी को काश्त करेगे। इस पर सायल द्वारा कहा कि उक्त आराजीयात शामिल रहते हुए बुजुर्गो के सयुक्त परिवार मे रहते हुए गोकल के नाम बंधी है। जिसको तीनो बुजुर्ग बराबर–बराबर काश्त कर रहे थ। तथा उनके नही रहने पर हम काश्तकार रहे है। इस पर गैरसायल न0 1 व 2 नही माने ओर धमकी दी की आराजी को व्यय करने व बैक मे रहन रखेगे। इस प्रकार गैरसायलान अपनी कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तथा सायल को अपने हिस्से की आराजीयात से बेदखल कर दिया तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

प्राईमाफेसी केस सायल के पक्ष मे है। सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष मे है अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति नही है जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायल को ता दावा फैसला इस आशय से पाबन्द फरमाया जावे कि वे ग्राम मोहनपुर स्थित आराजी ख0न0 340/0.16, 363/0.19, 524/0.14, 567/0.03, 568/0.11, 569/0.15, 570/0.15, 571/0.26, 572/0.37, 2042/0.37, 2210/0.28, 2210/2812/0.21, 2211/0.07, 2396/0.40 कुल किता 14 कुल रकवा 2.99 है0 मे सायल के हिस्से व कब्जे अनुसार आयी आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे , आराजी से बेदखल नही करे, आराजी को रहन व्यय नही करे, ऐसा कोई कार्य नही करे नाही किसी अन्य से करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान 3, 4, 5 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये इसलिये इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल न0 1 व 2 ने जरिये वकील जबाव पेश किया कि प्रार्थना पत्र मे प्रस्तुत सजरा सही नही बनाया गया है विवादित आराजीयात पूर्व मे गोकल के नाम थी, गोकल के मरने के बाद नामांतकरण संख्या 601 दिनांक 13.2.2017 से विरासत से गैरसायल न0 1 व 2 के नाम आयी है। इस आराजी से सायल का कोई संवध किसी प्रकार का नही है नाही सायल का कभी–भी 1/3 हिस्से पर कब्जा रहा है प्रार्थना पत्र मे वर्णित अन्य समस्त बाते झूठी व गलत दर्ज की है। प्रार्थी का प्राईमाफेशी केश साबित नही है नाही सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे है। नाहि उन्हे किसी प्रकार की क्षति है। विवादित आराजीयात मे हम खातेदार काश्तकार है। खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, वकील सायल ने बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि मेरा दावा आराजी रकबा 2.99 है0 को लेकर है। हिस्सा 1/2 के खातेदारी कराने का दावा पेश किया है। प्रतिवादी ने पूर्व मे पेश किये उनवानी दावा श्रीमन बनाम गौरया मे हिस्सा 1/2–1/2 माना है। शपथ पत्र भी पेश किया है। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर दावा के फैसला होने तक रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखी जावे। अप्रार्थी वकील ने जबाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि सायल का विवादित आराजीयात से कोई संबध किसी प्रकार से नही है नाही हिस्सा 1/3 पर सायल का कब्जा काश्त है। यह आराजी पूर्व मे गैरसायलान के पिता के नाम थी जो विरासत से प्राप्त हुई है। जहॉ तक उनवानी दावा श्रीमन बना गौरया की बात है। टाईपिंग क्लेरिकल मिस्टेक से गलत टाईप हो जाने के कारण दावा वापिस लिया गया है। प्रार्थना पत्र सायल अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिये तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया ग्राम मोहनपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 103 मे वर्णित आराजी ख0न0 340/0.16, 363/0.19, 524/0.14, 567/0.03, 568/0.11, 569/0.15, 570/0.15, 571/0.26, 572/0.37, 2042/0.37, 2210/0.28, 2210/2812/0.21, 2211/0.07, 2396/0.40 कुल किता 14 कुल रकवा 2.99 है0 की खातेदारी गैरसायलान न0 1 व 2 के नाम विरासत के नामांतकरण संख्या 601 दिनांक 13.01.2017 से आई है। साबिक जमाबन्दी सम्वत 2029–32 के खाता संख्या 77, 78, 79, 80, 81, 82 मे साबिक ख0न0 1380, 2369, 2655, 1678, 1012, 1603, 1025, 2749 मे खातेदारी गोकल पुत्र उॅकारया के नाम दर्ज है। सायल ने ऐसा कोई भी साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किया है जिससे कब्जा साबित होता हो। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे नही है

सुविधा का संतुलनः– सायल द्वारा कब्जा काश्त के संबध मे कोई दस्तावेज पेश नही करने एवं खातेदारी गैरसायलान के नाम दर्ज होने से सद्भावी काश्तकार होने से सुविधा का संतुलन के गैरसायलान के पक्ष मे है सायल के पक्ष मे नही है।

अपूर्तनीय क्षतिः– गैरसायलान जो कि रिकार्डेड खातेदार काश्कार है। यदि इन्हे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। यदि गैरसायलान को पाबन्द नही किया जाता है तो सायल को किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति नही होगी।

उक्त विवेचन के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

कार्यालय उपजिला कलक्टर (करौली) राज.

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.03.04 15:05:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: